तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.30/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

20.4.2023

पत्रावली आज पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी लखाराम माली पुत्र भीमाराम माली, जाति– माली, निवासी– मस्जिद के पीछे, हाथल रोड, अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म महादेव किराणा स्टोर, मुनीराज कॉम्पलेक्स, अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही अनुपस्थित।

आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 20.1.2022 को फर्म महादेव किराणा स्टोर, मुनीराज कॉम्पलेक्स, अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही में प्रतिवादी लखाराम माली पुत्र भीमाराम माली, निवासी– मस्जिद के पीछे, हाथल रोड, अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मस्टर्ड ऑयल (मां दुर्गा ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1609 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./287/Act/2022/270 दिनांक 11.2.2022 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 18.4.2023 को प्रतिवादी लखाराम माली ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को सुना गया, जिसने अनुरोध किया कि उसका व्यापार छोटा है एवं उसने यह मस्टर्ड ऑयल (मां दुर्गा ब्राण्ड) को दूसरी फर्म से क्रय किया था जिसका बिल गुम गया है। उसने अमानक मस्टर्ड ऑयल का निर्माण नही किया है। यह उसका प्रथम अपराध है। अतः कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल निलम्बित) ने दिनांक 20.1.2022 को फर्म महादेव किराणा स्टोर, मुनीराज कॉम्पलेक्स, अनादरा, तहसील– रेवदर जिला– सिरोही में प्रतिवादी/विक्रेता लखा[illegible] जाति– माली, निवासी– मस्ज्दि के पीछे, हाथल रो[illegible] तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही से खा[illegible] 4 पैक्ड बोटल (प्रत्येक एक[illegible] अधिनियम, 2006 के तहत नमूना [illegible] कीमतन क्रय कर

.......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:21:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रा. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.30/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ मस्टर्ड ऑयल (मां दुर्गा ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1609 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./287/Act/2022/270 दिनांक 11.2.2022 के अनुसार अमानक (sub-standard) पाया गया है। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी ने उक्त खाद्य पदार्थ मस्टर्ड ऑयल (मां दुर्गा ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी लखाराम माली ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ मस्टर्ड ऑयल (मां दुर्गा ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी लखाराम माली पुत्र भीमाराम माली, जाति– माली, निवासी– मस्जिद के पीछे, हाथल रोड, अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म महादेव किराणा स्टोर, मुनीराज कॉम्पलेक्स, अनादरा, तहसील– रेवदर, ज़िला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी लखाराम माली को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी. डी. आयन्दा दिनांक 25.5.2023 को पेश हो।

(के.आर.खौड़)
[illegible] मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:21:44 IST
Reason: SelfAttested